दिनांक : 05 मार्च, 2014

आचरण संबंधी एकाकीपन

– अरुण जेटली
(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

केन्द्र सरकार ने करीब दो महीने पहले गुजरात में कथित "स्नूप गेट" (लड़की जासूसी मामला) की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने का फैसला किया था। गुजरात सरकार पहले ही जांच आयोग गठित कर चुकी है जो जांच का काम कर रहा है। केन्द्र सरकार का उद्देश्य राजनैतिक है। वह गुजरात की सरकार और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी को उलझन में डालना चाहती है। केन्द्र सरकार द्वारा सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग करने के बावजूद, उसने जिस आयोग का गठन किया है उसमें बदला लेने की द्वेषपूर्ण भावना और अहंकार की बू आती है। पिछले दस वर्षों में अहंकार यूपीए सरकार की विशिष्टता बन चुकी है। अहंकार के कारण राजनैतिक पतन सुनिश्चित होता है। अहंकारियों में नम्रता का अभाव होता है। अहंकार उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से अलग–थलग करता है जो उनके व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उस आयोग का क्या हुआ ? आयोग की अध्यक्षता के लिए एक के बाद एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आग्रह किया गया। लेकिन उन्होंने राजनीति से प्रेरित इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आग्रह किया गया। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के काम के लिए वे उपलब्ध नहीं हैं। सरकार अपने आचरण के कारण अलग–थलग पड़ चुकी है क्योंकि कोई भी उसके इस झूठे काम में हाथ नहीं डालना चाहता।

इसी तरह जब लोकपाल के चेयरमैन और उसके सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति गठित की गई, प्रधानमंत्री और जो अन्य लोग चयन समिति के बारे में उनकी राय बांट रहे थे उन्होंने किसी भी जाने–माने नाम जैसे न्यायमूर्ति वेंकटचैलेया, फली एस नारीमन, सोली जे. सोराबजी, के. पारासरन, के. के. वेणुगोपाल और हरीश साल्वे को चयन समिति में न्यायाधीशों के वर्ग का सदस्य बनाने की स्वीकृति नहीं दी। जब जांच समिति नियुक्त की गई सरकार तीन सरकारी वकीलों में से एक या अधिक की नियुक्ति करना चाहती थी और उसने उनके नामों का सुझाव दिया था। श्रीमती सुषमा स्वराज ने इससे इंकार कर दिया।

मैंने 20 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने पत्र में उनसे अनुरोध किया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम अधिनियम के विपरीत हैं। इसमें चयन समिति और जांच समिति के कामकाज को हड़प लिया गया है। खासतौर से जांच समिति केवल क्लर्की वाला काम करने तक सीमित रह गई है। मेरी आपत्तियों पर विचार किये बिना ही उनकी अनदेखी कर दी गई। मैंने दलील दी कि कार्मिक विभाग ने जांच समिति और चयन समिति के अधिकार छीन लिए हैं। चयन समिति की किसी भी बैठक में चयन के मानदंड तय नहीं किए गए। लोकपाल के सदस्यों और चेयरमैन के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। आवेदनों के साथ समझौता किया गया और लॉबिंग की गई।

श्री फली एस. नारीमन और न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस जांच समिति का हिस्सा बनने से इंकार कर चुके हैं। उनका मानना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वह इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के चयन के इरादे से नहीं थी। अब यह स्पष्ट है कि लोकपाल जैसी संस्था को उसके अस्तित्व में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। जब प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त व्यक्ति जांच और चयन कार्य से जुड़ने से इंकार कर रहे हैं और सरकार के इरादों पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उसका आचरण सम्बन्धी एकाकीपन सिद्ध हो गया है।

*****